अपील सूचना अधिकार संख्या 65/2018 (RCMS 2018/00169) श्री नेमचंद पुत्र श्री आत्माराम सिन्धी C/o पंजाबी सुट दुप्पटा सेन्टर, इन्दिरा बाजार, श्रीविजयानगर पोस्ट श्रीविजयानगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)-335704 मोबाईल नं 96720-09581 बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>03.04.2019</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री नेमचंद स्वयं उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से श्री सुरेश कुमार दिनांक 25.02.2019 को उपस्थित हुए थे। उभयपक्ष की बहस सुनी गई थी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 28.07.2018 को प्रस्तुत करके छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से चाही गई थी, जिसमें से बिन्दु सख्य्या 06 की सूचना जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उसे शुल्क जमा करवाने पर उपलब्ध करवाई दी गई थी एवं बिन्दु 1 से 5 की सूचना हेतु भगवती गैस एजेन्सी, श्री विजयनगर से सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया था, परन्तु भगवती गैस एजेंसी, श्रीविजयनगर द्वारा उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसके द्वारा चाही गई सूचनाएं छः बिन्दुओं में से शेष रही 5 बिन्दुओं की सूचना उसे निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाए।

अप्रार्थी जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलार्थी नेमचन्द द्वारा चाही गई सूचनाओं में से उन्हें बिन्दु संख्या 6 की सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है एवं बिन्दु संख्या 1 से 5 की सूचनाएं कार्यालय में उपलब्ध नही होने पर सम्बनधित फर्म भगवती गैस एजेन्सी, श्रीविजयनगर को प्रार्थी को सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु उनके कार्यालय के पत्रांक 7709/07.08.2018 से लिखा गया था।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी नेमचन्द ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.07.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.01.2018 को गैस सिलेण्डर बुक करवाया था जिसक बुकिंग नम्बर 103645 है। दिनांक 26.01.2018 को प्रार्थी को कैश मेमो बिल नम्बर 114328 काटा गया। दिनांक 26.01.2018 को कैश मेमो बिल 114328 की ऑफिस कॉपी की प्रति प्रमाणित प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जाये।
2. दिनांक 04.02.2018 को प्रार्थी के नाम भगवती गैस एजेन्सी द्वारा काटा गया, कैश मेमो नम्बर 118869 की ऑफिस कॉपी की प्रमाणित उपलब्ध करवाई जाये।
3. दिनांक 09.02.2018 को प्रार्थी के नाम भगवती गैसी एजेन्सी के द्वारा काटा गया कैश मेमो नं 121287 की ऑफिस कॉपी की प्रति प्रमाणित उपलब्ध करवाई जाये।
4. दिनांक 10.02.2018 को प्रार्थी के नाम काटा गया कैश मैमो नं 121894 की ऑफिस कॉपी की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जाये।
5. दिनांक 31.05.2018 प्रार्थी की ब्लयू बुक में दर्ज इन्टरी के अनुसार 31.05.2018 के कैश मेमो की प्रति प्रमाणित देवें।
6. देवेन्द्र आसेरी ई.आई. द्वारा दिनांक 09.02.2013 को भगवती गैस एजेन्सी श्रीविजयनगर की जांच की गई। जांच में अनियमितताएं पाए जाने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा आज तक हुई कार्यवाही की सूचना दवें व ऑर्डर शीट की प्रति प्रमाणित व भगवती गैस एजेन्सी पर लगाई गई पेनल्टी की रसीद की प्रति प्रमाणित उपलब्ध करवाई जाये।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 7709 दिनांक 07.08.2018 से भगवती गैस एजेन्सी, श्रीविजयनगर को लिखते हुए प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निम्न सूचना चाही गई है:
>
> 1. प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.01.2018 को गैस सिलेण्डर बुक करवाया था जिसक बुकिंग नम्बर 103645 है। दिनांक 26.01.2018 को प्रार्थी को कैश मेमो बिल नम्बर 114328 काटा गया। दिनांक 26. 01.2018 को कैश मेमो बिल 114328 की ऑफिस कॉपी की प्रति प्रमाणित प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जाये।
> 2. दिनांक 04.02.2018 को प्रार्थी के नाम भगवती गैस एजेन्सी द्वारा काटा गया, कैश मेमो नम्बर 118869 की ऑफिस कॉपी की प्रमाणित उपलब्ध करवाई जाये।
> 3. दिनांक 09.02.2018 को प्रार्थी के नाम भगवती गैसी एजेन्सी के द्वारा काटा गया कैश मेमो नं 121287 की ऑफिस कॉपी की प्रति प्रमाणित उपलब्ध करवाई जाये।
> 4. दिनांक 10.02.2018 को प्रार्थी के नाम काटा गया कैश मैमो नं 121894 की ऑफिस कॉपी की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जाये।
> 5. दिनांक 31.05.2018 प्रार्थी की ब्लयू बुक में दर्ज इन्टरी के अनुसार 31.05.2018 के कैश मेमो की प्रति प्रमाणित देवें।
> 6. देवेन्द्र आसेरी ई.आई. द्वारा दिनांक 09.02.2013 को भगवती गैस एजेन्सी श्रीविजयनगर की जांच की गई। जांच में अनियमितताएं पाए जाने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा आज तक हुई कार्यवाही की सूचना दवें व ऑर्डर शीट की प्रति प्रमाणित व भगवती गैस एजेन्सी पर लगाई गई पेनल्टी की रसीद की प्रति प्रमाणित उपलब्ध करवाई जाये।
>
> बिन्दु संख्या 1 से 5 तक की सूचना आप द्वारा ही दी जानी है। अतः पत्र में अंकित बिन्दु संख्या 1 से 5 की सूचना से प्रार्थी को सूचित करें।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार उनके द्वारा बिन्दु संख्या 06 की सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है एवं बिन्दु संख्या 1 से 5 की सूचना हेतु सम्बन्धित एजेंसी को उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया था, परन्तु सम्बन्धित एजेंसी द्वारा अपीलार्थी को सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई है। दिनांक 25.02.2019 को बहस के समय विभागीय प्रतिनिधि को सम्बन्धित एजेंसी से बिन्दु संख्या 1 से 5 की सूचना प्राप्त कर अपीलार्थी को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु आदिनांक तक अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए इस मामले में लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1 से 5 की सूचनाएं भगवती गैस एजेन्सी से प्राप्त कर नियमानुसार अपीलार्थी उपलब्ध करवाई जावे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 28.07.2018 द्वारा चाही गई सूचनाओं पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत 07 दिवस में नियमानुसार उपलब्ध करवाने की कार्यवाही करें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को भिजवाई जावे। अपीलार्थी को भी निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर